



2026:AHC:49291

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - **5329/2026**

राम लखन (दिवंगत) एवं 11 अन्य याचीगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 12 अन्य विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता: वीरेंद्र कुमार

विपक्षी के अधिवक्ता: अनिल कुमार तिवारी, भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडेया

1. कुछ बहस के बाद, याचीगण के अधिवक्ता द्वारा इस प्रार्थना के साथ वर्तमान रिट याचिका को वापस लेने का अनुरोध किया गया कि उन्हें नई रिट याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी जाए।
2. की गई प्रार्थना स्वीकार की जाती है।
3. रिट याचिका मांगी गई स्वतंत्रता के साथ खारिज की जाती है।
4. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वह इस रिट याचिका में चुनौतीपूर्ण आदेश की प्रमाणित प्रती, उसकी फोटो-प्रति रिकॉर्ड पर रखने के बाद, वापस कर दे।
5. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि याचीगण नई रिट याचिका दायर करते हैं, तो वे उसकी सूचना अधिवक्ता श्री अनिल कुमार तिवारी को भी देंगे, जो कैविएटर की ओर से उपस्थित हुए हैं।

11 मार्च, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



प्रमोद त्रिपाठी

(प्रकाश पाडिया, जे.)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"